मध्यप्रदेश शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय
आदेश

भोपाल दिनांक

क्रमांक एफ 3–30/2012/29–2 राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया है। कि :–

1/ प्रदेश को "भण्डारण एवं लॉजिस्टिक्स हब" के रूप में विकसित करने के उददेश्य से राज्य शासन द्वारा निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आगामी दो वर्षो में 20 लाख मेट्रिक टन अतिरिक्त भण्डारण क्षमता विकसित करने हेतु संलग्न अनुसार वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2012"अनुमोदित की जाती है।

2/ इस नीति के अन्तर्गत व्याख्या एवं संशोधन संबंधी निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित शीर्ष स्तरीय (अपेक्स) निवेश संवर्धन साधिकार समिति निर्णय लेने के लिए सक्षम रहेगी।

3/ इस नीति के अन्तर्गत प्राप्त समस्त प्रस्ताव ट्रायफेक के माध्यम से "एकल खिडकी प्रणाली" के अंतर्गत निराकृत किए जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नामें से तथा
आदेशानुसार

(सुबोध रेगे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

भोपाल दिनांक 24-2-12

पृष्ठाकंन एफ 3–30/2012/उन्तीस–2
प्रतिलिपिः– 1 निज सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय म0प्र0शासन भोपाल।
2 कृषि उत्पादन आयुक्त।
3 अपर मुख्य सचिव म0प्र0 शासन वाणिज्य उघोग और रोजगार विभाग।
4 प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वित्त विभाग, प्रमुख सचिव सहकारिता,प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास विभाग।
5 आयुक्त–सह संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,भोपाल
6 प्रबंध संचालक, म0प्र0 वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन भोपाल।
7 महाप्रबंधक , भारतीय खाद्य निगम, भोपाल।
8 प्रबंध संचालक, म0प्र0 मार्कफेड भोपाल।
9 प्रबंध संचालक, म0प्र0 मण्डी बोर्ड भोपाल।
10 प्रबंध संचालक, तिलहन संघ भोपाल।
11 पंजीयक सहकारी संस्थाऐं।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय भोपाल

— आदेश —

वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2012

1. मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स नीति, 2012 का उद्देश्य है राज्य को देश के एक 'वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स हब' के रूप में विकसित करना, तथा निजी पूंजी निवेश के माध्यम से भण्डारण क्षमता में वृद्धि करना, जिससे कृषि एवं उद्योग दोनो को बढ़ावा मिले।

2. भण्डारण क्षमता निर्माण अपने आप में एक औद्योगिक गतिविधि को मानकर, प्रदेश में निर्माणाधीन तथा स्थापित होने वाले नये **औद्योगिक क्षेत्रों में 10 प्रतिशत भूमि** वेअरहाउस के लिये आरक्षित की जावेगी।

3. वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता, ट्रकों के आवागमन की सुविधा एवं वेअरहाउस की आवश्यकतानुसार, विद्यमान नियोजन नियमो के अन्तर्गत वेअरहाउस निर्माण के प्रस्तावों को अनुमोदित किया जावेगा।

4. कम–से–कम दस जिलों में गोदाम/साईलोज के निर्माण के लिये प्रत्येक जिले में कम–से–कम 50 एकड़ भूमि "**वेअरहाउस जोन**" के रूप में विकसित की जावेगी ।

5. नये औद्योगिक क्षेत्रों एवं "वेअरहाउस जोन" में गोदाम निर्माण हेतु भूमि उसी दर पर उपलब्ध कराई जावेगी जिस दर पर औद्योगिक नीति के अनुसार लघु उद्योगों को उपलब्ध है।

6. भण्डारण क्षमता वृद्धि को, तथा नवाचार के तहत "**साइलो बैग्स**" इत्यादि अत्याधुनिक तकनीक की भंडारण व्यवस्था प्रोत्साहित करने के लिये समय–समय पर आवश्यकतानुसार विभिन्न व्यवसाय गारंटी के विकल्पो **(मॉडल)** को लागू किया जायेगा ।

7. इस नीति के तहत प्राप्त होने वाले समस्त प्रस्तावों को "**एकल खिड़की प्रणाली**" अंतर्गत ट्रायफेक के माध्यम सें निराकृत किये जावेंगे।

8. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स् नीति, 2012 के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि हेतु जिलों का वर्गीकरण "अ", "ब" एवं "स" श्रेणियों में न करते हुये पूरे मध्य प्रदेश में समान रूप से भण्डारण की आवश्यकता के अनुरूप दिया जावेगा।

9. निम्न वित्तीय सहायता आगामी दो वर्षो तक या अधिकतम 20 लाख मे. टन क्षमता के निर्माण/विस्तारीकरण हेतु अन्य विहित शर्तो को पूर्ण करने वाले निजी उद्यमियों को "Early Bird Incentives" या "**प्रथम आओ प्रथम पाओ**" के सिद्धान्त पर दी जायेगी ।

9.1 गोदाम निर्माण हेतु रूपये 1 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश पर निर्माण लागत (जिसमें भूमि की लागत सम्मिलित नहीं है) के **15%** की राशि **पूँजीगत अनुदान** (Capital Subsidy) के रूप में स्वीकृत किया जावेगा। (अनुदान की अधिकतम सीमा एक स्थान पर प्रति निवेशक प्रति परियोजना रूपये 2.25 करोड़– 50,000 मे.टन क्षमता के आधार पर परिगणित)।

9.2 गोदाम निर्माण के लिये स्वीकृत ऋण राशि पर 5% की दर से 7 वर्ष हेतु ब्याज अनुदान (Interest Subsidy) की प्रतिपूर्ति स्वीकृत की जावेगी। (अनुदान की अधिकतम् सीमा एक स्थान पर प्रति निवेशक

प्रति परियोजना रूपये 1.70 करोड़–50,000 मे.टन क्षमता के आधार पर परिगणित)।

9.3 पूर्व निर्मित गोदामों में क्षमता विस्तारीकरण को भी नये निवेश के रूप में इस नीति के तहत सभी लाभ मिलेंगे, यदि विस्तारीकरण निवेश एक ही बार में कंम से कम रू. 1 करोड़ या इससे अधिक है।

9.4 इस कण्डिका के तहत 15 लाख मे.टन क्षमता के भण्डारगृह निर्माण के लिए केवल उन्हीं उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा जिन्होंने किसी अन्य शासकीय योजना से प्रोत्साहन (उदाहरणार्थ, व्यवसायिक गारंटी) प्राप्त नहीं किया हो।

9.5 शेष 5 लाख मे.टन साईलोज के निर्माण के लिये केन्द्र सरकार की VGF योजना के अन्तर्गत 20% VGF के प्रावधान के साथ–साथ राज्य शासन द्वारा भी आवश्यकतानुसार अधिकतम 20% VGF का प्रावधान किया जावेगा, जो कि निविदा के आधार पर निर्धारित होगा। 5 वर्ष की व्यवसायिक गारंटी भी प्रदान की जावेगी । VGF के प्रावधान होने के कारण पूंजीगत अनुदान या ब्याज अनुदान नहीं दिया जावेगा।

9.6 प्रदेश में लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा देने के लिये एक समेकित परियोजना (Integrated Project) जिसमें कम–से–कम 50 नये भार वाहनों (प्रति वाहन न्यूनतम 9 मे.टन क्षमता के) का क्रय तथा कम–से–कम 10 हजार मे.टन क्षमता का गोदाम निर्माण सम्मिलित है, में भार वाहन पंजीयन शुल्क में 2 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। गोदाम निर्माण पर अन्य लागू Incentives के लाभ के लिए पात्रता होगी।

9.7 गोदामों की गुणवत्ता प्रमाणीकरण WDRA अथवा ISO:9000 के प्रमाणीकरण के लिये कुल शुल्क का 50 प्रतिशत या रूपये 1 लाख, जो भी कम हो, प्रोत्साहन के रूप में स्वीकृत किया जावेगा।

10. इस नीति के अंतर्गत व्याख्या एवं संशोधन संबंधी निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित शीर्ष स्तरीय (अपेक्स) निवेश संवर्धन साधिकार समिति निर्णय लेने के लिए सक्षम रहेगी ।

अतिरिक्त मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
भोपाल

Government of Madhya Pradesh
Department of Food, Civil Supplies & Consumer Protection
Mantralaya, Bhopal

Warehousing & Logistics Policy, 2012

1. The Madhya Pradesh Warehousing & Logistics Policy 2012 aims to develop the state as a "Warehousing & Logistics Hub" of the country and to enhance warehousing capacity through private investment so as to promote both agriculture and industry.
2. Accepting construction of godowning capacity as an industrial activity in itself, **10% land in all green field industrial areas** shall be reserved for warehousing purposes.
3. Proposals for setting up warehouses in the **existing industrial areas** shall be approved under existing planning rules based on demand of warehousing, availability of land and facilities for movement of heavy vehicles.
4. A minimum of 50 acres of land in at least 10 districts will be developed as **"Warehousing Zones"** for setting up warehouses and silos.
5. Land for setting up warehouses in green field industrial areas and **Warehousing Zones** shall be made available at the same rates as provided to SSI units as per Industrial Policy.
6. Various models of business guarantee will be introduced periodically, based on requirement, to enhance warehousing capacity and to promote innovative storage techniques such as **silo bags** etc.
7. All proposals received under this Policy shall be dealt with under **"Single Window System"** through TRIFAC.
8. The incentives offered under the Warehousing & Logistics Policy, 2012 will apply homogenously across the state, based on warehousing demand, without classifying the districts in A, B or C category.

9. Following **"Early Bird Incentives"** will be provided to private entrepreneurs complying with the prescribed terms and conditions for construction/expansion of godown capacity of 20 lakh MTs, or for the next two years, whichever is earlier:

9.1 **Capital subsidy** of 15% of the construction cost (excluding cost of land) on an investment of more than Rs. 1 crore. (Maximum amount of subsidy will be Rs. 2.25 Crores, for a capacity of 50,000 MTs per investor per project)

9.2 **Interest Subsidy** reimbursement at the rate of 5% per year for 7 years on the loan amount sanctioned for construction of godowns (maximum amount of subsidy will be Rs. 1.70 crores for a capacity of 50,000 MTs per investor per project).

9.3 All benefits under this Policy for new investment will be provided for expansion of existing warehousing capacity also, if investment in expansion is Rs.1 crore or more at a time.

9.4 For construction of 15 lakh MTs godowns, only those entrepreneurs will be considered eligible under this Policy who have not availed, any incentives (for example business guarantee) from any other government scheme.

9.5 For construction of 5 lakh MTs of silos, state government will provide a maximum of 20% VGF, if required, in addition to 20% VGF provided by Government of India (on the basis of tender). Business guarantee will be provided for 5 years. Because of provision of VGF, no capital and interest subsidy will be provided.

9.6 For promoting logistics in the State, 2% exemption in vehicle registration fee will be given on purchase of a minimum fleet of 50 vehicles (minimum carrying capacity 9 MTs per vehicle) for an integrated project also involving construction of warehousing capacity of at least

10,000 MTs. All other incentives for construction of godowns under the policy will also be available for the warehouse construction.

9.7 For Quality Certification of godowns (like WDRA or ISO:9000), 50% of the cost of certification or Rs. 1 lakh, whichever is less, will be reimbursed, as an incentive.

10. The Apex Committee under the chairmanship of Chief Minister shall be competent to take any decision about interpretation and/or amendment related to this Policy.

Note: In case of any doubt or discrepancy, Hindi Version of Policy will be authoritative.

*****